

क्र. संख्या

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्श्व तथा सूचनाए जारी की गई

०६-७-१५ पत्रकारिता अनुपाधीत रहने से मुकदमा उभय कोर्ट में लिया जाता था वही मुकदमा अनुपाधीत किया जाता। लाहौर द्वारा भोजा कांडका की आराजी नम्बर (२५७), २५७२, व २५७३ की जो काहीजत की खालेहारी में होकर काहीजत के कलमे कायल में चली आ रही है प्रत्येक काहीजत का कायलत भाग नियत से हो कर चला नहीं है, छिट भी काहीजत के कलमे कायल में हरजमेतानी पैदा करते हैं भूला प्रतियेकी जवा हो स्वामी निवे दामा से पाक-ह फुला पा जाये। हमने काहीजत के कलमे का कायलत एवं फुला वही का अनुपाधीत किया। भोजा कांडका, सहित गोरुहा की जमावदी संवत् २०६८ से ७१ के खला संख्या ३८६ के अनुपाधीत से कायलत उपरली नम्बर २५७१ व २५७२ के काहीजत खालेहा कायलत का है, पत्रकारिता नम्बर २५७३ काहीजत के खालेहारी में स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में काहीजत के खालेहारी की आराजी के लिये निवे दामा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर काहीजत का वह आधिकारिक स्थिति लिया जाता है एवं भोजा कांडका की आ.नं. २५७१ व २५७२ में काहीजत के शोषणपूर्व शोषण कार्य में किसी प्रकार की हरजमेतानी नहीं करने, अथवा में प्रवेश नहीं करने एवं काहीजत को बंद रखने नहीं करने कायलत प्रत्येक काहीजत को स्वामी निवे दामा से पाक-ह किया जाता है समावली निर्दिष्ट होकर संख्या से इस को।

निवे दामा जारी किया।

